भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1839

जिसका उत्तर 13 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है ।

22 अग्रहायण, 1945 (शक)

इलेक्ट्रोनिक विनिर्माण क्लस्टर

1839. श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में स्थापित किए गए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टरों (ईएमसी) की बिहार सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) मौजूदा ईएमसी में कितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और भारतीय स्टार्ट-अप ने अपनी इकाइयां स्थापित की है और वर्तमान में इनमें कितने लोग नियोजित हैं;

(ग) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान उद्योग द्वारा सृजित राजस्व का ब्यौरा क्या है और आगामी पांच वर्षों के दौरान इसमें कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान कुल वैश्विक इलेक्ट्रॉनिकी निर्यातों में राज्य-वार निर्यात सहित देश की हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा भारत को वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए हाल ही में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) से (च): भारत सरकार का लक्ष्य देश के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक और सुदृढ़ करने के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन (जीवीसी) में भारत की भागीदारी को बढ़ाना है। सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर सहित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक सामान और उपकरणों में बड़े निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के इस उत्पादन के परिणामस्वरूप, निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी संरचना के निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए अक्टूबर, 2012 में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना को अधिसूचित किया। इस योजना के अंतर्गत, देश भर के पंद्रह (15) राज्यों में 1,470 करोड़ रुपये की केंद्रीय अनुदान सहायता सहित 3,499 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ 3,464 एकड़ क्षेत्र में 19 ग्रीनफील्ड ईएमसी और 3 सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) को स्वीकृति दी गई। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2020 को संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना शुरू की, जिसमें कोई भी राज्य सरकार

या राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) आदि या एंकर यूनिट या किसी अन्य औद्योगिक संपत्ति के साथ ऐसी एजेंसियों का संयुक्त उद्यम /औद्योगिक पार्क विकासकर्ता अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। यह योजना आवेदन प्राप्त हेतु मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए खुली है और अनुमोदित परियोजनाओं के लिए धन के संवितरण के लिए मार्च, 2028 तक की अवधि उपलब्ध है। ईएमसी 2.0 योजना के अंतर्गत , देश भर के 5 राज्यों में 1,036 करोड़ रुपये की केंद्रीय अनुदान सहायता सहित 2,219 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ 1,695 एकड़ क्षेत्र में 5 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को स्वीकृति दी गई है। योजना के तहत अभी तक बिहार राज्य से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अनुमोदित ईएमसी में, 392 कंपनियों ने 58,895 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ विनिर्माण स्थान लिया है और 2.63 लाख लोगों हेतु रोजगार सृजित करने की क्षमता रखती हैं । इनमें से 104 कंपनियां 14,948 करोड़ रुपये के निवेश के साथ पहले से ही उत्पादन कर रही हैं और 67,231 लोगों को रोजगार प्रदान कर चुकी हैं। अन्य, 130 कंपनियाँ निर्माण चरण में हैं। ईएमसी में बुनियादी संरचना के विकास के लिए 1 करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का घरेलू उत्पादन 2013-14 में 1.80 लाख करोड़ रुपये (29.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से बढ़कर 2022-23 में 8.22 लाख करोड़ रुपये (102 बिलियन अमेरिकी डॉलर) हो गया है, जो कि 18.4% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पर है, 2026 तक इसके बढ़कर 23,95,195 करोड़ रुपये (300 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुंचने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात भी वित्त वर्ष 2013-14 में 47,557 करोड़ रुपये (7.86 बिलियन अमरीकी डालर) से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 (23.5 बिलियन अमरीकी डालर) में 1,89,934 करोड़ रुपये हो गया है, जो 16.7% (उद्योग के अनुमानों के अनुसार) की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) को दर्शाता है। 2022-23 में, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लगभग 23.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम **अनुबंध** में दिए गए हैं।

****

अनुबंध

भारत सरकार का लक्ष्य देश के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक और सुदृढ़ करना है। सेमीकंडक्टर सहित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए, सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2019**: *राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति* 2019 (एनपीई 2019) ,25.02.2019 को अधिसूचित की गई है। एनपीई 2019 का दृष्टिकोण चिपसेट सहित मुख्य घटकों को विकसित करने के लिए देश में क्षमताओं को प्रोत्साहित और संचालित करके और उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाकर भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करने और प्रोत्साहित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एनपीई 2019 के तत्वावधान में निम्नलिखित तीन योजनाएं अधिसूचित की गई हैं:

(i) **बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)** 01 अप्रैल, 2020 को अधिसूचित की गई थी ताकि मोबाइल फोन विनिर्माण और असेंबली, परीक्षण, अंकन और पैकेजिंग (एटीएमपी) इकाइयों सहित विनिदष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण में शामिल वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष से अधिक) पर पात्र कंपनियों को 4% से 6% तक का प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके।

(ii) **आईटी हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (पीएलआई)** को 03 मार्च, 2021 को अधिसूचित किया गया था, ताकि भारत में निर्मित और लक्षित खंड के तहत कवर किए गए सामानों की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष से अधिक) पर 4% से 2% / 1% का प्रोत्साहन पात्र कंपनियों को चार (4) वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जा सके। पीएलआई योजना के अंतर्गत लक्ष्य खंड में (i) लैपटॉप, (ii) टैबलेट, (iii) ऑल-इन-वन पीसी और (iv) सर्वर शामिल हैं।

(iii) **आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0 को** 17,000 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ 29 मई, 2023 को अधिसूचित किया गया था। यह योजना आवेदकों के लिए अधिक लचीलापन और विकल्प प्रदान करती है, और विकास को और प्रोत्साहित करने के लिए वृद्धिशील बिक्री और निवेश सीमा से जुड़ी है। इसके अलावा, सेमीकंडक्टर डिजाइन, आईसी विनिर्माण और पैकेजिंग को भी आईटी हार्डवेयर हेतु पीएलआई योजना 2.0 के प्रोत्साहन घटकों के रूप में शामिल किया गया है। यह लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (यूएसएफएफ) उपकरणों में बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देगा।

(iv) इलेक्ट्रॉनिक घटकों और अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीईसीएस) को इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की चिन्हित की गई सूची के लिए पूंजीगत व्यय पर 25% का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 01 अप्रैल, 2020 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की डाउनस्ट्रीम मूल्य श्रृंखला शामिल है, यानी इलेक्ट्रॉनिक घटक, सेमीकंडक्टर / डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाइयां, एटीएमपी इकाइयां, विशेष उप- उपरोक्त वस्तुओं के निर्माण के लिए असेंबली और पूंजीगत सामान। यह योजना 31.03.2029 तक प्रोत्साहन वितरण के साथ 31.03.2024 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली है।

(v) **संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना** को 01 अप्रैल, 2020 को अधिसूचित किया गया था, ताकि देश में इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रमुख वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए रेडी बिल्ट फैक्ट्री (आरबीएफ) शेड/प्लग एंड प्ले सुविधाओं सहित सामान्य सुविधाओं और सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जा सके। यह योजना पूरे देश में ईएमसी परियोजनाओं और सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) दोनों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली है और अनुमोदित परियोजनाओं को निधियों के संवितरण के लिए मार्च, 2028 तक की अवधि उपलब्ध है।

2. अर्धचालक और प्रदर्शन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए कार्यक्रम:इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को व्यापक और सुदृढ़ करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15.12.2021 को सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक व्यापक कार्यक्रम को स्वीकृति दी। कैबिनेट की स्वीकृति के साथ, पहले से ही स्थापित सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र वाले देशों और उन्नत नोड प्रौद्योगिकियों के मालिक सीमित संख्या में कंपनियों द्वारा पेश किए गए एग्रेसिव प्रोत्साहनों को देखते हुए कार्यक्रम को 21.09.2022 को और संशोधित किया गया है। संशोधित कार्यक्रम का उद्देश्य अर्धचालक, प्रदर्शन विनिर्माण और डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की बढ़ती उपस्थिति का मार्ग प्रशस्त करेगा। संशोधित कार्यक्रम प्रौद्योगिकी नोड्स में सेमीकंडक्टर फैब के साथ-साथ मिश्रित सेमीकंडक्टर, पैकेजिंग और अन्य सेमीकंडक्टर सुविधाओं के लिए समान रूप से परियोजना लागत का 50% वित्तीय सहयोग प्रदान करता है।

पात्र आवेदकों के लिए अब निम्नलिखित वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध हैं:

क) इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने और एक विश्वसनीय मूल्य श्रृंखला स्थापित करने में सहयोग करने हेतु देश में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए **भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना।** यह योजना भारत में सिलिकॉन सीएमओएस आधारित सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना के लिए समान आधार पर परियोजना लागत का 50% वित्तीय समर्थन प्रदान करती है।

ख) इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए देश में टीएफटी एलसीडी अथवा एमोलेड आधारित डिस्प्ले पैनलों के विनिर्माण के लिए बड़े निवेश को आकषत करने के लिए भारत में डिस्प्ले फैब्स की स्थापना हेतु संशोधित योजना। यह योजना भारत में डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए परी-पासू आधार पर परियोजना लागत के 50% तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना भारत में डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए समान आधार पर परियोजना लागत का 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

ग) **भारत में कम्पाउंड सेमीकंडक्टर्स/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसरफैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स फैब एंड सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग (एटीएमपी)/ओसैट सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित योजना भारत में** कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स/सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच)/सेंसर्स (एमईएमएस सहित) फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओसैट सुविधाओं की स्थापना के लिए समान आधार पर पूंजीगत व्यय के 50% की राजकोषीय सहायता प्रदान करेगी।

घ) 'सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन: डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) स्कीम' एकीकृत सर्किट (आईसी), चिपसेट, सिस्टम ऑन चिप्स (एसओसी), सिस्टम एंड आईपी कोर और सेमीकंडक्टर लिंक्ड डिजाइन के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन के विकास और परिनियोजन के विभिन्न चरणों में वित्तीय प्रोत्साहन, डिजाइन बुनियादी संरचना सहायता प्रदान करती है। यह योजना पात्र व्यय के 50% तक "उत्पाद डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन" प्रदान करती है, जो प्रति आवेदन रु 15 करोड़ की सीमा के अधीन है और 5 वर्षों में शुद्ध बिक्री कारोबार का 6% से 4% का "परिनियोजन लिंक्ड प्रोत्साहन" प्रदान करता है, जो प्रति आवेदन ₹ 30 करोड़ की सीमा के अधीन है।
उपरोक्त योजनाओं के अलावा, सरकार ने सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला, मोहाली को ब्राउनफील्ड फैब के रूप में आधुनिकीकरण को भी स्वीकृति दे दी है।

नोडल एजेंसी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) को 'भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए योजना' के अंतर्गत तीन (3) आवेदन और 'भारत में डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए योजना' के अंतर्गत दो (2) आवेदन प्राप्त हुए हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। हालाँकि, कोई भी आवेदन अनुमोदन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त, आईएसएम को 'भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर / सिलिकॉन फोटोनिक्स / सेंसर फैब / डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) / ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित योजना' के अंतर्गत छह (6) आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस योजना के अंतर्गत एक (1) आवेदन स्वीकृत किया गया है।

3. **100% एफडीआई:** मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक एफडीआई की अनुमति है (भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों को छोड़कर), लागू कानूनों / विनियमों के अधीन; सुरक्षा और अन्य शर्तें।

4. **संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एसआईपीएस)**:यह योजना अशक्तता की भरपाई के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए 27 जुलाई, 2012 को अधिसूचित की गई थी। योजना की अवधि बढ़ाने, 15 और उत्पाद कार्यक्षेत्रों को शामिल करके योजना का दायरा बढ़ाने और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए अगस्त, 2015 में इसमें संशोधन किया गया था। निवेश में तीव्रता लाने के लिए जनवरी, 2017 में इस योजना में और संशोधन किया गया। यह योजना पूंजीगत व्यय के लिए सब्सिडी प्रदान करती है - विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में निवेश के लिए 20% और गैर-एसईजेड में 25%। यह प्रोत्साहन संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण मूल्य श्रृंखला को कवर करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और घटकों की 44 श्रेणियों/वर्टिकलों के लिए उपलब्ध हैं। यह योजना 31.12.2018 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली थी और कार्यान्वियन मोड में है।

5. **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना**: निवेश आकर्षित करने के लिए सामान्य सुविधाओं और सुविधाओं के साथ-साथ विश्व स्तरीय बुनियादी अवसंरचना के निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना 22 अक्टूबर, 2012 को अधिसूचित की गई थी।

6. **इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट फंड (ईडीएफ)**: इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड (ईडीएफ) को पेशेवर रूप से प्रबंधित "डॉटर फंड्स" में भाग लेने के लिए "फंड ऑफ फंड्स" के रूप में स्थापित किया गया है, जो बदले में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी(आईटी) के क्षेत्र में नई तकनीक विकसित करने वाले स्टार्टअप और कंपनियों को जोखिम पूंजी प्रदान करेगा। इस फंड से इन प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ईडीएफ के माध्यम से 2,626 करोड़ रुपये के लक्षित कोष के साथ 9 डॉटर फंडों को 409 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

7. **चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी)** मोबाइल फोन और उनकी उप-असेंबली/पुर्जों के विनिर्माण में घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित किया गया है। परिणामस्वरूप, भारत ने तीव्रता से इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना शुरू कर दिया है और देश में महत्वपूर्ण विनिर्माण क्षमताएं स्थापित की गई हैं। मोबाइल फोन का विनिर्माण निरंतर सेमी नॉक्ड डाउन (एसकेडी) से कंप्लीटली नॉक्ड डाउन (सीकेडी) स्तर की ओर बढ़ रहा है, जिससे घरेलू मूल्यवर्धन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

8. अन्य विषयों के साथ-साथ सेल्यूलर मोबाइल फोन, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक घटकों, टीवी के लिए सेट टॉप बॉक्स, एलईडी उत्पादों और चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों सहित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए **टैरिफ संरचना** को युक्तिसंगत बनाया गया है।

9. **पूंजीगत वस्तुओं पर मूल कस्टम शुल्क से छूट:** निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण के लिए अधिसूचित पूंजीगत वस्तुओं को "शून्य" कस्टम सीमा शुल्क पर आयात की अनुमति है।

10. **प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी का सरलीकृत आयात**: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिनांक 11.06.2018 की अधिसूचना के माध्यम से खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आंदोलन) नियम, 2016 में संशोधन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग द्वारा उपयोग के लिए कम से कम 5 वर्ष के अवशिष्ट जीवन वाले उपयोग किए गए संयंत्र और मशीनरी के आयात को सरल बनाया गया है।

11. **आयु प्रतिबंध में छूट:** राजस्व विभाग ने दिनांक 11.09.2018 की अधिसूचना सं.60/2018-सीमा शुल्क के माध्यम से दिनांक 14.11.1995 की अधिसूचना संख्या 158/95-सीमा शुल्क में संशोधन किया है, जिसमें भारत में निर्मित और मरम्मत या पुनर्कंडीशन के लिए भारत में पुन: आयात किए जाने वाले निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए उम्र बढ़ने के प्रतिबंध को 3 वर्ष से 7 वर्ष तक कम कर दिया गया है।

12. **सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017**: 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करने और आय और रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से भारत में वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के दिनांक 15.06.2017 के आदेश के माध्यम से सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 जारी किया है और बाद में 28.05.2018, 29.05.2019, 04.06.2020 और 16.09.2020 के आदेशों के माध्यम से संशोधन किया है। उपरोक्त आदेश को आगे बढ़ाते हुए, एमईआईटीवाई ने स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीद हेतु 13 इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्र को अधिसूचित किया है, जैसे (i) डेस्कटॉप पीसी, (ii) थिन क्लाइंट, (iii) कंप्यूटर मॉनिटर, (iv) लैपटॉप पीसी, (v) टैबलेट पीसी, (vi) डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, (vii) संपर्क और संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड, (viii) एलईडी उत्पाद, (ix) बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल / प्रमाणीकरण डिवाइस, (x) बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट सेंसर, (xi) बायोमेट्रिक आईरिस सेंसर, (xii) सर्वर, और (xiii) सेल्युलर मोबाइल फोन ।

13. **अनिवार्य पंजीकरण आदेश (सीआरओ)**: एमईआईटीवाई ने भारत में अवमानक और असुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात पर अंकुश लगाकर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य अनुपालन के लिए "इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सामान (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012" अधिसूचित किया है। सीआरओ के तहत 63 उत्पाद श्रेणियों को अधिसूचित किया गया है और यह आदेश 63 उत्पाद श्रेणियों पर लागू है।

14. **गैलियम नाइट्राइड की स्थापना (जीएएन) पारिस्थितिकी तंत्र सक्षम केंद्र और इनक्यूबेटर:** "उच्च शक्ति और उच्च आवृत्ति इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए गैलियम नाइट्राइड (जीएएन) पारिस्थितिकी तंत्र सक्षम केंद्र और इनक्यूबेटर की स्थापना" की परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है। परियोजना को सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट (एसआईडी) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, जिसे सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीईएनएसई) बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के तत्वावधान में "फाउंडेशन फॉर साइंस, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट" नामक धारा 8 कंपनी में परिवर्तित किया जाएगा।

****